

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांक: एफ1 7(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/

दिनांक: 23/4/2015

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/
अधिकाारी,
नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका

.....

विषय:- आर.के.सी.एल केन्द्रों को भामाशाह नामांकन हेतु अधिकृत करने के संबंध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक: एफ1 7(2)/2/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक: 02.04.15


महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा राज्य के समस्त उपखण्ड अधिकारियों को उनके क्षेत्र में कार्यरत आर.के.सी.एल के प्रशिक्षण केन्द्रों को भामाशाह नामांकन हेतु राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड की ओर से अनुबंध करने हेतु अधिकृत किया गया है। इस क्रम में राज्य के समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिकाारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को भी अनुबंध करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

अतः सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिकाारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र में कार्यरत आर.के.सी.एल केन्द्रों के माध्यम से भामाशाह नामांकन कार्य को गति प्रदान करने के लिये अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करें।

संलग्न- अनुबंध का नमूना

भवदीय,



(अखिल अरोरा)


शासन सचिव

सू. प्रौ. और संचार एवं आयोजना विभाग

कमांक:एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/
प्रतिलिपि:

दिनांक: 23/4/2015

1. समस्त जिला कलक्टर.....
2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.....
4. समस्त एसीपी (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला.....
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/तहसीलदार.....


(ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग